



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3554 सन् 2026

श्रीमती किशना देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नितेश पटेल, उदित चंद्रा

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उदित चंद्रा और श्री आर.एस. उमराव, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय राम प्रकाश की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है, जो बाल विकास एवं पुश्ताहार, जिला कानपुर नगर विभाग में जीप चालक के रूप में स्थायी कर्मचारी था, जिसे शुरू में 28.08.1987 को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, उसकी सेवाएं 19.04.2004 को नियमित हो गईं, थीं, उसके बाद 2 नवंबर 2023 को उनका निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता 28.08.1987 से 18.04.2004 तक अर्हक सेवा के रूप में अपनी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन के भुगतान का दावा कर रही है।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय दूसरे उत्तरदाता, निदेशक, बाल विकास एवं पुश्ताहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. परिवाद में इस तरह की दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता **27.03.2026** तक दूसरे उत्तरदाता, निदेशक, बाल विकास एवं पुस्ताहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, दूसरा उत्तरदाता दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

मार्च 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"